राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2016

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)
राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र–नोवी
पीठासीन अधिकारीः– श्री महीपाल भारद्वाज, RAS

राजस्व वाद सं. 40 / 2014
दायरा तिथि 21.05.2014
निर्णय तिथि 14.05.2016

वादीगणः–
1–शांतिलाल पुत्र छोगारामजी
2–मदनलाल पुत्र छोगारामजी
जातिगण सुथार निवासीगण नोवी तहसील सुमेरपुर

बनामः

प्रतिवादीगणः–
1–कन्या पुत्री छोगारामजी पत्नी खुमारामजी जाति सुथार निवासी सुमेरुपर तह.सुमेरपुर
2–कमला पुत्री छोगारामजी पत्नी चम्पालालजी जाति सुथार निवासी सेवाडी तह.बाली
3–इन्द्रा पुत्री छोगारामजी पत्नी भगवानजी जाति सुथार निवासी जुना जोगापुरा तहसील शिवगंज
4–पुष्पा पुत्री छोगारामजी पत्नी शंकरजी जाति सुथार निवासी नेतरा तह.सुमेरपुर
5–सुखी पुत्री छोगारामजी पत्नी भंवरजी जाति सुथार निवासी सुथारों का गुडा तहसील देसूरी
6–उप पंजीयक अधिकारी, सुमेरपुर
7–तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188 RTAct,1955

–: नि र्ण य :–

दिनांक 14.05.2016

उपरोक्त प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है–

(1) कि यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र–नोवी में बरोज आज पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। हमने, लोक अदालत की भावना से पक्षकारों की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन व परीक्षण किया। फलस्वरूप प्रश्नगत् मामले की वाद–विषयक स्थिति अनुसार वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वादपत्र कतिपय प्रावधानों के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि सरहद मौजा नोवी तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि गत् खसरा नं. 390, 399 कुल रकबा 17)18 बीघा बेरा आंगणावा जिसके वर्तमान खसरा नं. 659, 660, 661, 662, 663 रकबा क्रमशः 0.07, 0.24, 0.96, 0.54, 0.05 कुल रकबा 1.86 हेक्टर भूमि वादीगण के पिता छोगाराम पुत्र गजाजी कौम सुथार ने खरीद की थी, उक्त भूमि के बारे में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली के यहां राजस्व वाद सं. 164 / 1976 छोगाराम बनामः सरकार दिनांक 29.06.1977 को निर्णित हुआ जो वादीगण के पिता छोगारामजी के पक्ष में निर्णित होकर छोगारामजी खातेदार घोषित हुए। छोगारामजी ने अपने जीवनकाल में उक्त सम्पूर्ण भूमि दिनांक 12.02.2013 को वादीगण के पक्ष में वसीयत कर दी तथा छोगारामजी की मृत्यु पश्चात् उक्त वादग्रस्त सम्पूर्ण कृषि भूमि पर वादीगण का एकमात्र स्वतंत्र रूप से कब्जा काश्त आज तक शांति पूर्वक चला आ रहा है, परन्तु उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पटवारी हल्का ने वसीयत दिनांक 12.02.2013 को नजर–अन्दाज करके वादीगण के साथ–2 प्रतिवादी सं.01 लगाय 05 के नाम गलत रूप से इन्द्राज कर दिया जो कानूनन शून्य है, जबकि वसीयत के आधार पर एकमात्र वादीगण ही उक्त वादग्रस्त सम्पूर्ण कृषि भूमि के विधिक खातेदार है। इसलिए उक्त सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कराने एवं वादीगण की उल्लेखित घोषित सुदा खातेदारी भूमि को

लगातार–2

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली (राज)

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण या उनके प्रतिनिधि किसी प्रकार से बैचान/हस्तान्तरण या दखलंदाजी नहीं करे, इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा का निर्णय/डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित फरमावे। वादीगण ने वादपत्र के साथ साक्ष्य–दस्तावेज क्रमशः हाल जमाबंदी संवत् 2068–71 की प्रमाणित प्रति, निर्णय दिनांक 29.06.1977 की छाया प्रति, वसीयत नामा दिनांक 12.02.2013 की छाया प्रति, मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 30.07.2013 की छाया प्रति इत्यादि पेश किए है।

(2) कि कथित वादपत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रतिवादी सं.03 लगाय 05 ने इकबालिया जवाब पेश कर वादपत्र में उल्लेखित सभी अभिव्यक्त कथनों व तथ्यों को स्वीकार किया है। प्रश्नगत् मामला विधिक कार्यवाही के तहत विचाराधीन रहते इस आयोजित राजस्व लोक अदालत केम्प में यह पत्रावली पेश हुई, जिसके अन्तर्गत वादीपक्ष शांतिलाल, मदनलाल पि.छोगारामजी एवं प्रतिवादी सं.01 कन्या पुत्री छोगारामजी व प्रतिवादी सं.02 कमला पुत्री छोगारामजी उपस्थित होकर लोक अदालत की भावना से भाईयों–बहनों के बीच आपसी समझाईश वसमझौता के आधार पर इस आशय का राजीनामा पेश किया कि "प्रतिवादीगण अपना सम्पूर्ण हिस्सा की आराजी वादीगण के पक्ष में डिक्री करने के लिए सहमत है, अतः जरिए राजीनामा वादपत्र डिक्री फरमावे।" हमने, तथाकथित राजीनामा को पक्षकारों की सहमति व सत्यापन पश्चात् तस्दीक करके रेकर्ड पर लिया। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध तमाम रेकर्ड इत्यादि, प्रतिवादी सं.03 लगाय 05 के इकबालिया जवाबदावा व प्रतिवादी सं.01 लगाय 02 के कथित तस्दीक सुदा राजीनामे की इबारत अनुसार वादपत्र में अभिव्यक्त कथनों एवं तथ्यों की बखुबी पुष्ठि होती है और उल्लेखित विश्लेषण व विवेचित तथ्यों के आधार पर हमारी विधिक राय है कि वादग्रस्त सम्पूर्ण कृषि भूमि बाबत् प्रश्नगत् मामला कतिपय प्रावधानों के तहत बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण के स्वीकार एवं डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः उल्लेखित विश्लेषण एवं विवेचित तथ्यों के परिणामतः अर्थात प्रतिवादी सं.03 लगाय 05 के इबालिया जवाबदावा एवं प्रतिवादी सं.01 व 02 के तस्दीक सुदा राजीनामे की इबारत अनुरूप वादीगण का यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के कतिपय प्रावधानों के तहत स्वीकार एवं डिक्री किया जाकर सरहद मौजा नोवी तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त सम्पूर्ण कृषि भूमि हाल खसरा नं. 659, 660, 661, 662, 663 रकबा क्रमशः 0.07, 0.24, 0.96, 0.54, 0.05 कुल रकबा 1.86 हेक्टर भूमि बाबत् प्रतिवादी सं.01 लगाय 05 के नाम दर्ज खातेदारी हक–हिस्से को विलोपित करते हुए उपरोक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि का वादीगण को एकमात्र खातेदार कृषक घोषित किया जाता है, साथ ही वादीगण उपरोक्त घोषित सुदा सम्पूर्ण कृषि भूमि को प्रतिवादीगण या उनके प्रतिनिधि किसी प्रकार से बैचान/हस्तान्तरण या दखलंदाजी नहीं करे, इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। तहसीलदार सुमेरपुर व पटवारी हल्का नोवी उक्त निर्णय/डिक्री अनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद कर पालना सुनिश्चित करे। पक्षकारान खर्चा अपना–2 वहन करे। माफिक निर्णय, डिक्री–पर्चा मुर्तिब हो।

यह निर्णय बरोज आज दिनांक 14.05.2016 को राजस्व लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र नोवी में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली (राज)

उपखण्ड अधिकारी जिला-पाली (राजस्थान)

Scanned by CamScanner